संख्या-09/2023/001-149/60-1-2023

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 14 मार्च, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान सं0-49 के राजस्व मद में सी0पी0एस0 योजना हेतु वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-594-95/निदे0म0क0/लेखा-बजट/वि0स्वी0/2022-23, दिनांक 30.01.2023 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रू0 1597008000/- (रूपये एक अरब उन्सठ करोड सत्तर लाख आठ हजार मात्र) के सापेक्ष 253887273/- (रुपये पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं उक्त धनराशि का निवर्तन निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश दिनांक 08.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/ गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति	07 मानदेय	4,72,50,000 (रुपये चार करोड़ बहत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(के.35/रा.65 के.)		लाख पचास हजार मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	08 कार्यालय व्यय	26,25,000 (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	09 विद्युत देय	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
4	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	10 जलकर / जल प्रभार	45,000 (रुपये पैंतालीस हजार मात्र)
5	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,50,000 (रुपये दस लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	13 टेलीफोन पर व्यय	2,62,000 (रुपये दो लाख बासठ हजार मात्र)
7	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	27,12,000 (रुपये सत्ताईस लाख बारह हजार मात्र)
9	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	29 अनुरक्षण	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
10	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	42 अन्य व्यय	5,25,000 (रुपये पांच लाख पच्चीस हजार मात्र)
11	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,25,000 (रुपये पांच लाख पच्चीस हजार मात्र)
12	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,25,000 (रुपये पांच लाख पच्चीस हजार मात्र)
13	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7,87,000 (रुपये सात लाख सतासी हजार मात्र)
	कुल			**6,08,56,000** **(रुपये छह करोड़ आठ लाख छप्पन हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2235021020107 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020107 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	46,18,844 (रुपये छियालीस लाख अठारह हजार आठ सौ चवालीस मात्र)
	कुल			**46,18,844 (रुपये छियालीस लाख अठारह हजार आठ सौ चवालीस मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	09 विद्युत देय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
3	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	10 जलकर / जल प्रभार	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
4	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
6	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(के.60/रा.40-के.)		
7	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	29 अनुरक्षण	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	39 औषधि तथा रसायन	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
9	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	41 भोजन व्यय	51,00,000 (रुपये इक्यावन लाख मात्र)
10	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
11	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
12	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,52,00,000 (रुपये एक करोड़ बावन लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
3	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	41 भोजन व्यय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
4	049	2235021020112	42	1,49,617

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	अन्य व्यय	(रुपये एक लाख उनचास हजार छह सौ सत्रह मात्र)
5	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	3,10,000 (रुपये तीन लाख दस हजार मात्र)
6	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
	कुल			**72,59,617 (रुपये बहत्तर लाख उनसठ हजार छह सौ सत्रह मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	36,94,312 (रुपये छत्तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ बारह मात्र)
	कुल			**36,94,312 (रुपये छत्तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ बारह मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	09 विद्युत देय	49,50,000 (रुपये उनचास लाख पचास हजार मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,15,00,000 (रुपये तीन करोड़ पंद्रह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
6	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	72,00,000 (रुपये बहत्तर लाख मात्र)
7	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	3,80,58,924 (रुपये तीन करोड़ अस्सी लाख अट्ठावन हजार नौ सौ चौबीस मात्र)
8	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
9	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
10	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
11	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
	कुल			**10,42,08,924** **(रुपये दस करोड़ बयालीस लाख आठ हजार नौ सौ चौबीस मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,89,91,589 (रुपये एक करोड़ नवासी लाख इक्यानबे हजार पांच सौ नवासी मात्र)
	कुल			**1,89,91,589** **(रुपये एक करोड़ नवासी लाख इक्यानबे हजार पांच सौ नवासी मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.35/रा.65-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.35/रा.65-के.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	3,90,57,987 (रुपये तीन करोड़ नव्वे लाख सत्तावन हजार नौ सौ सतासी मात्र)
	कुल			**3,90,57,987 (रुपये तीन करोड़ नव्वे लाख सत्तावन हजार नौ सौ सतासी मात्र)**
महायोग				25,38,87,273 (रुपये पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिहत्तर मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-4-<494>-X-2022-23, दिनांक 06 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या-9/2023/001-149/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ,उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in